राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति,राजस्थान (एनएचएम)
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

F.20(254)/NHM/HRD/PIP/PH Lab/2024/ ||01| Date: 08/7/24

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में FMR code HSS.9/HRH/S.N.185/Remuneration for all NHM HR के अंतर्गत प्राप्त बजट स्वीकृति अनुसार संविदा Accountant (Public Health Lab) पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु. 13.38 लाख (In words: Rupees: Thirteen Lakh and Thirty Eight Thousand) तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में रु. 14.10 लाख (In words: Rupees Fourteen Lakh and Ten Thousand) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, जिला स्वास्थ्य समितियों को एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्णित स्वीकृति में संविदा कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि की अधिकतम सीमा अंकित है। जिलेवार आवंटन निम्नानुसार हैः–

(Amount Lumpsum in Lakh)

S.No.	Name of District Health Society	Name of the Institution	Total No.of Sanctioned Staff / Units	Total Sanctioned Amount For FY 2024-25	Total Sanctioned Amount For FY 2025-26
1	Ajmer	PHL, Ajmer	1	2.23	2.35
2	Alwar	PHL, Alwar	1	2.23	2.35
3	Jaipur (Jaipur-I)	Central PHL Lab, Jaipur	1	2.23	2.35
4	Jodhpur	PHL, Jodhpur	1	2.23	2.35
5	Kota	PHL, Kota	1	2.23	2.35
6	Udaipur	PHL, Udaipur	1	2.23	2.35
Total Amount			**0**	**13.38**	**14.10**

सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिती अनुमोदित बजट सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त भुगतान NHM Flexible pool में उपलब्ध राशि में से किया जाकर व्यतित राशि को सम्बंधित बजट मद में बुक किया जाना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत मानव संसाधनो के मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 05 प्रतिशत मानदेय अभिवृद्धि सहित जारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष में मानदेय अभिवृद्धि, वार्षिक कार्य मुल्यांकन में नियन्त्रण अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर लिये गये निर्णय/दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.07.05 19:10:24 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8550522

2. कार्यरत संविदा कार्मिकों को संबंधित कैडर हेतु स्वीकृत मासिक मानदेय दर से अधिक राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे अन्यथा जिले में किसी भी संविदा कार्मिक को किये गये अधिक भुगतान के लिये संबंधित अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
3. किसी भी नवनियुक्त संविदा कार्मिक को संबंधित केडर के लिये निर्धारित मूल मानदेय (Base Honorarium) की दर से ही भुगतान किया जावें तथा उसकी कार्यग्रहण तिथि से आगामी 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि स्वीकृत नही की जावे।
4. उक्त स्वीकृति में बजट राशि Lump-Sum जारी की जा रही है। संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को अतिरिक्त बजट की मांग औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ स्टेट हैल्थ सोसायटी को प्रेषित करना होगा।

(डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक एनएचएम
एवं संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव चि0 एवं स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, संबंधित जिले।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक (वित्त) एनएचएम जयपुर।
8. परियोजना निदेशक–आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एनएचएम मुख्यालय जयपुर।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
10. राज्य नोडल अधिकारी–एचआर, एनएचएम जयपुर ।
11. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,सबंधित जोन, राजस्थान ।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम संबंधित जिला।
14. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई–मेल।
15. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.07.05 19:10:24 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8550522